भारतीय नारी सशक्तिकरण के विविध आयाम एवं सवैधानिक प्रावधान

डॉ. श्याम कुमार मधुकर
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोतर महाविद्यालय,जांजगीर (छ.ग.)

ओम प्रकाश सिंह
ग्रंथपाल
शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोतर महाविद्यालय, जांजगीर (छ.ग.)

सारांश

महादेवी वर्मा के शब्दों में ''नारी केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है, आदिम काल से आज तक विकास के पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सरल बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानो से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है। यह शोधपत्र भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में वैदिक काल से आधुनिक काल तक नारी सशक्तिकरण के बदलते विविध आयाम पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारी के सशक्तिकरण हेतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के योगदान तथा संवैधानिक प्रावधान का भी वर्णन करता है।

Keywords: नारी सशक्तिकरण, वैदिक काल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारतीय सविधान, महिला आरक्षण विधेयक

पृष्ठभूमि

भारतीय नारी को देवी शब्द से संबोधित किया जाता है जो शक्ति का पर्याय है। हमारे समाज में वह सर्वदा शक्ति, संवेदना तथा सौंदर्य के प्रतीक के रूप में मानी जाती रही है। आज आजादी के 68 वर्ष बाद भी इस 21 वीं सदी दौर में भी हमें नारी सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श, स्त्री स्वतंत्रता की चर्चा की करनी पड़े तो क्या वास्तव में हम प्रगति के पथ पर है? कभी कहा जाता था –

अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में दूध और आंखों में पानी।।

लेकिन आज की नारी, साहस कौशल, बुद्धि तीनों की दृष्टि से सबल होने के बाद भी दहेज, बालात्कार, शोषण, भेदभाव की शिकार है। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी नारी की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिससे वे अपने जीवन से जुडे सभी निर्णय स्वयं ले सके तथा वह परिवार एवं समाज के सभी बंधनो से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों।

सरल शब्दों में कहे तो अपने निजी स्वतंत्रता स्वयं के फैसले लेने के लिए नारी को अधिकार देना ही नारी सशक्तिकरण है। देश समाज एवं परिवार की उज्जवल भविष्य के लिए तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आधी आबादी का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है।

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय नारियों की स्थिति में निरंतर बदलाव आता रहा है। मनु ने कहा है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता,

अर्थात् जहा नारियों की पूजा, सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते है। किन्तु भारतीय नारियों की स्थिति संतोषप्रद नहीं है, वह बाल्यकाल सें वृद्धावस्था तक सदैव किसी न किसी पर आश्रित रहती है।

पिता रक्षति कौमार्ये, भर्तो रक्षति यौवनें,

पुत्रों रक्षति वार्धक्यें न स्त्री स्वातंत्र महर्ति,,

पिता बाल्यकाल में पति यौवनकाल में तथा पुत्र वृद्धावस्था में नारी की रक्षा करता है।

भारतीय समाज में नारियों की स्थिति

वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक उनकी स्थिति में निरंतर बदलाव आता रहा है। जिसका वर्णन निम्नावत है–

1 **वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति–** वैदिक काल की नारियों को उनकी योग्यता अनुसार पुरूषों के सामान शिक्षा दी जाती थी। उस समय की भारतीय समाज में यह मान्यता थी कि जहां नारियों की पूजा व सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि मृदृभाषी पत्नियां सुख में अपने पति की मित्र होती है, धार्मिक कार्यो के समय में वे उनकी माता के सामान होती है। इस काल की प्रमुख विदुषियो में ऋषि काक विषान की पुत्री घोषा, ऋग्वेद के दो स्तुतिगान की रचयिता थी। सम्राट असंगा की पत्नि सरस्वती भी वैदिक काल की दार्शनिक की रूप में प्रसिद्ध थी। उपाला, इन्द्रादि, सिक्ती और निवावरी भी उस काल की प्रमुख विद्वान नारियां थी। ईसा के 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईंसा के 300 वर्ष बाद तक का युग उत्तर वैदिक काल कहा जाता हैं। इस काल में धीरे धीरे नारियों के अधिकार छीने जाने लगें एवं उन पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एंवं वैयक्तिक शिकंजे कसने शुरू कर दिये गये। इस काल में स्वंयवर प्रथा केवल राजकुलों तक सीमित थी। सीता एवं द्रौपदी ने स्वयंवर प्रथा द्वारा ही अपने प्रियतम का वरण किया था। उत्तर वैदिक काल मैं विधवा विवाह पूर्णत्या प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन सती एवं जौहर प्रथायें प्रचलन में थी।

2 **मध्यकाल में भारतीय नारियों की स्थिति–** 11 वीं शताब्दी से 18 वीं शताब्दी के काल को भारतीय इतिहास में मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में नारियों की स्थिति में जितना अवमूल्यन हुआ, उसे हमारा इतिहास कलंक के रूप में ही याद करता है। इस काल में वैदिक काल के संपूर्ण नियमों एवं मान्यताओं को पलट कर रख दिया। मध्यकाल में भारतीय समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध की बेडियों ने नारी को पशु तुल्य बना दिया। पर्दा प्रथा की कुरीतियों के कारण नारी घर की चारदिवारी के अंदर सिमट कर रह गयी। सतीप्रथा के अलावा यह समय ऐसा भी था कि राजपूत नारियां पतियों केा युद्धक्षेत्र में मारे जाने पर जौहर प्रथा का अनुकरण करते हुए तथा अपन सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर कर देती थी। इस काल के महान कवि तुलसीदास जी कहते है–

ढोल गवार, शुद्र पशु व नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी – रामचरित मानस

यहां विभिन्न विद्वानों के द्वारा **ताड़न** शब्द की व्याख्या दो अर्थों में (पीटना, समझना) की गयी है।

3 **आधुनिक काल में भारतीय नारियों की स्थिति** – आधुनिक युग को नारी के लिये चेतना का युग कहा जाये तो कुछ भी गलत नही होगा। जैसा हम जानते है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिस प्रकार अंधेरे के बाद ज्योर्तिमय दिवस आता है उसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नारियों की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। वर्तमान नारी के जीवन में संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों नें उनके लिये शिक्षा, रोजगार तथा राजनैतिक भागीदारी के सामान अवसर प्रदान किये है तथा शोषण को भी कम किया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्त्री– पुरूष समानता के पक्षधर थें, उनका कहना था कि **''मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारी स्त्रियों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए।''** किन्तु गांधी जी नारियों संवैधानिक अधिकार के पक्ष में तो थे, किन्तु उनका ध्येय यह भी था कि नारी और पुरूष के कार्य अलग अलग हो, उनकी इस सोच की झलक हमें बम्बई भंगिनी समाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उनके संबोधन से पता चलता है– ***''स्त्री पुरूष की समानता का अर्थ यह नही है कि उनके धंधे भी एक हों। कोई स्त्री शिकार खेलें या भाला चलाये तो कोई कानून उसे मना नही कर सकता है। लेकिन जो काम पुरूष का है उसमे वह सहज झिझकती है। प्रकृति ने स्त्री–पुरूष को एक दूसरे का पूरक बनाया है, किन्तु उनके काम भी अलग अलग है।''***

वर्तमान समय में भारत का महिला प्रतिनिधित्व विश्व में 65वें स्थान पर है। संसद में नारियो हेतु 33% आरक्षण विधेयक आज तक पारित नहीं हो सका है, क्योकि पुरुषवादी भारतीय समाज के सांसदों को डर है कि अगर यह विधेयक पारित हो गया तो इनमे से बहुतो को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि उन पर बलात्कार, उत्पीड़न, अपहरण इत्यादि के सैकड़ों जुर्म दर्ज है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि नारी के गर्भ से उत्पन पुरुष ने ही उनको हेय समझकर कन्या भ्रूण हत्या कर देता है, जवान होने पर उसको दासी बनाकर रखता है। पति की चिता के साथ सती होने पर मजबूर किया और किसी प्रकार के समानता का अधिकार नहीं दिया। भारतीय संविधान के रचियता, राजनेता, सामाजिक सुधारक, न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक डॉ0 बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर नारी–पुरुष समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होनो एक ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नजरो में सभी नागरिक सामान हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करे। एक तरह से बाबा साहेब ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की।

भारतीय सविधान में नारियो के अधिकारों व समानता हेतु प्रावधान

भारतीय सविधान में नारियो के अधिकारों व समानता हेतु विशेष प्रावधान किये गए ,जिनमे निम्न प्रमुख है,

- **अनुच्छेद 14–** इस अनुच्छेद के द्वारा कानून के समक्ष समानता की घोषणा की गयी है चाहे वह नारी हो या पुरुष।
- **अनुच्छेद 15(3)** –में नारियो व बच्चो को विशेष सुविधा प्रदान की गयी है।
- **अनुच्छेद 16–**लोकसेवाओ में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
- **अनुच्छेद 19** एकसामान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 21**–सामान रूप से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना।
- **अनुच्छेद 23–24** द्वारा नारी के क्रय–विक्रय पर रोक लगायी गयी है।
- **अनुच्छेद 42** नारियो के लिए प्रसूति सहायता।
- **अनुच्छेद 47**–पोषाहार,जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थय में सुधार करना सरकार का दायित्व।

पंचायती तथा नगरीय संस्थानों में 73वें तथा 74वें सविधान संषोधन के माध्यम से महिलाओ के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 39 के तहत नारी–पुरुष दोनों को सामान कार्य के लिए सामान वेतन की व्यस्था की गयी है।

नारी सशक्तिकरण हेतु संसद द्वारा बानाये गये अधिनियम

कानूनी अधिकार के साथ साथ नारियो को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किये गए कुछ अधिनियम निम्न है–

- एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
- दहेज रोक अधिनियम 1961
- अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987
- लिंग परिक्षण तकनीक (नियन्त्रण व गलत इस्तेमाल के रोकथाम) एक्ट 1994
- कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन शोषण से बचाव सम्बंधित अधिनियम 2013

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नारियो की स्थिति में वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता काल तक निरंतर ह्रास होता रहा है। आजादी के बाद संविधान के विभिन्न अनुच्छेदो में नारी सशक्तिकरण हेतु किये गए प्रावधानों के कारण इनकी स्थिति में सुधार आया है। फिर भी भारतीय नारियो की सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, प्रशासनिक, न्यायिक व विकास के क्षेत्रो में पचास प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी स्तर पर व्यापक व गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान व तकनीक, खेलकूद, अंतरिक्ष, राजनीति, कूटनीति आदि के क्षेत्र में नारियो की श्रेष्ठतम उपलबधियो ने यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सामान अवसर मिले तो वह पुरुषो से किसी मामले में कम नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 विप्लव – महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2013

2 शर्मा, पूर्णिमा – भारत में नारी सशक्तिकरण का व्यावहारिक स्वरुप, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2015

3 श्रीवास्तव, नीलम रानी – इतिहास एवं वर्तमान के आईने में महिला सशक्तिकरण के बदलते परिदृश्य, अल्फा पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 2014

4 श्रीवास्तव, सुधारनी – महिला शोषण और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013

5 छिल्लर, मंजुलता – भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010

6 यादव, वीरेन्द्र सिंह – भारत में महिला सशक्तिकरणः मुद्दे, विकल्प और नीतियां, अल्फा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014

7 http://www-hindikiduniya-com/essay/women&empowerment&essay

8 http://www-thefamouspeople-com/profiles/b&r&ambedkar&3657-php

9 http://www-playquiz2win-com/tothepoint/gk/constitutionalparts-html

10 http://lawmin-nic-in/coi/contents-htm

11 http://www-freepressjournal-in/mind&matters/changing&role&of&women&in&india/238407